झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 29 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री नुरेआलम अंसारी एवं अन्य
ग्रा०-कस्वाली, प्र०-भण्डरिया
जिला - गढ़वा

बनाम

प्रतिवादी DSO, गढ़वा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30.05.2023	परिवादी श्री नुरेआलम अंसारी एवं अन्य, ग्राम–करचाली, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला–गढ़वा का परिवाद पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये व्हाटसएप्प नं0 पर प्राप्त हुआ। परिवदी द्वारा करचाली पंचायत के खुशबू शांति समूह, PDS डीलर के विरूद्ध माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एवं मई का राशन नहीं दिये जाने एवं ई–पॉस मशीन से पर्ची निकालकर राशन का वितरण नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–15.06.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	